**FORM-I**

*(for Linear Projects)*

Government of Chhattisgarh

**Office of the Collector (Land Record) District Kondagaon (C.G)**

No/13 /L.R. /ESTT/2017 Kondagaon/ Dated06/ 01/2017

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment & forests (MoEF) Govt. of India Letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued Guidelines on submission of evidences for having initiated and complied the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest rights) ACT-2006 (FRA in short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th Feb 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects It is to certified that total 27.628 Hectare of forest land (Revenue forest, RF & PF) proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer 400 KV Line Construction Division Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Kanker for Construction of Proposed 132 KV Kondagaon – Narayanpur Transmission Line** fall within Masora, Kondagaon, Devkhargaon, Umargaon, Bunagaon, Karathialwad, Banjugani, Kiwaibalenga, Chaudang&Chimdi of Tahsil& District Kondagaon.

It is further certified that-

(a) The complete process for identification and of rights under FRA has been carried out for entire 27.628 Hectare of forest area proposed to be diverted. The copy of records of all consolations and meetings of Forest Right Committee(s), Gram sabha(s), Sub Divisional Level Committee (s) and district level Committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been complied and Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The Proposal does not involve recognized rights of PrimitiveTribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl:- As Above

**Collector**
District Kondagaon
Chhattisgarh
Collector
Distt.-Kondagaon

**FORM-I**

*(for Linear Projects)*

Government of Chhattisgarh

**Office of the Collector District Narayanpur (C.G)**

No. /Reader/2016 /461 Narayanpur/ Dated - 30-12-16

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment & forests (MoEF) Govt. of India Letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued Guidelines on submission of evidences for having initiated and complied the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest rights) ACT-2006 (FRA in short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th Feb 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects It is to certified that total 10.247 Hectare of forest land (Revenue forest, RF & PF) proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer 400 KV Line Construction Division Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Kanker for Construction of Proposed 132 KV Kondagaon - Narayanpur Transmission Line** fall within Koliyari, Bheeragaon, Sirpur, Pknigaon, Sonapal, Sivini & Nelwad of Tahsil and District Narayanpur.

It is further certified that-

(a) The complete process for identification and of rights under FRA has been carried out for entire 10.247 Hectare of forest area proposed to be diverted. The copy of records of all consolations and meetings of Forest Right Committee(s), Gram sabha(s), Sub Divisional Level Committee (s) and district level Committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been complied and Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl:- As Above

कार्यालय कलेक्टर जिला-नारायणपुर

30/12/2016

Collector

District Narayanpur,

Chhattisgarh

# अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति जिला नारायणपुर

## // बैठक की कार्यवाही विवरण //

यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाइन निर्माण संभाग छ.ग. राज्य विद्युत, पारेषण कंपनी मर्यादित कांकेर द्वारा प्रस्तावित 132 के.व्ही. कोण्डागांव–नारायणपुर पारेषण लाईन तहसील एवं जिला नारायणपुर के ग्रामों कोलियारी, भीरागांव, सिरपुर, सिवनी, नेलवाड़ के संरक्षित एवं राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रकिया के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.12.2016 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार अधिकारियों ने भाग लिया :–

(1) श्री मुकेश रावटे अ.वि.अ. (रा.) नारायणपुर – अध्यक्ष

(2) श्री आर.के.तिवारी उप वन मण्डलाधिकारी नारायणपुर – सदस्य

(3) श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी , मु.का.पा.अधि. जं. पं. नारायणपुर – सदस्य

(4) श्री रजमन कोर्राम अध्यक्ष जं. पं. नारायणपुर – सदस्य

(5) श्री जागेश्वर उसेण्डी उपाध्यक्ष जं. पं. नारायणपुर – सदस्य

(6) श्रीमती सामन्तरीन कुंजाम जनपद पंचायत सदस्य नारायणपुर – सदस्य

वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में तहसील एवं जिला नारायणपुर के ग्रामों कोलियारी, भीरागांव, सिरपुर, सिवनी, नेलवाड़ ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहें है तथा किसी भी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया । इसलिए गैर वन उद्देश्य अर्थात् 132 के.व्ही. कोण्डागांव – नारायणपुर पारेषण लाईन हेतु अनुभाग नारायणपुर में स्थित जिला नारायणपुर के तहसील नारायणपुर में 5.118 हे0 संरक्षित वन, 5.129 हे0 राजस्व वन कुल 10.247 हे0 वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम सभा की वन समिति के ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

| | | |
|---|---|---|
| अनुविभागीय अधिकारी<br>नारायणपुर | अनुविभागीय अधिकारी वन<br>नारायणपुर | मु.का.अ.ज.पं.<br>नारायणपुर |
| 30/12/2016<br>अध्यक्ष<br>ज.पं. नारायणपुर | 30/12/016<br>उपाध्यक्ष<br>ज.पं. नारायणपुर | सामन्तरीन<br>सदस्य<br>ज.पं. नारायणपुर |

ग्राम सभा ...मसोरा..... की बैठक दिनांक ...22/8/2016... की कार्यवाही विवरण

ग्राम :- ......मसोरा........
स्थान :- ......मसोरा......

आज दिनांक 22/8/16 को ग्राम ......मसोरा........ के सरपंच श्री/श्रीमती ...कविता नेताम...... की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ........ सदस्य ........ प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम ...मसोरा..... में आवेदक कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.ग.रा.वि.पारे.कं. मर्या. कांकेर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ...—..... हे. वन भूमि 1.783 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.783 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तन किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के.व्ही. कोण्डागांव /नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये पस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

*अथवा*

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.मे.) |
|---|---|---|---|
| — | मसोरा | NIL —— | |

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ........... हे. वन भूमि .......... हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग ............. हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.ग.रा.वि.पारे.कं. मर्या. कांकेर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित किया जावे।

[signature]
वन समिति अध्यक्ष
ग्राम – मसोरा

[signature]
सचिव
ग्राम पंचायत–मसोरा
वि.ख. /जि.–कोण्डागांव (छ.ग.)

हस्ताक्षर ——————
नाम —— कविता नेताम
सरपंच
ग्राम पंचायत मसोरा
जिला – कोण्डागांव

नाम

अंगूठे का निशान / हस्ताक्षर

① रामबती मरकाम
② सुनीता मरकाम
③ मंगन राम नेताम पंच
④ घसियाराम कोराम
③ विनोद कुमार.
⑤ नवेला नेताम
फुलचन्द पटेल

सुनीता
मगन
घसिया राम कोराम
Netam
Budhelu
फुलचन्द पटेल

ग्राम सभा श्रीरागांव देवरवरगांव ....... की बैठक दिनांक 22/8/16 को कार्यवाही विवरण

ग्राम :– श्रीरागांव (देवरवरगांव)
स्थान :– देवरवरगांव

आज दिनांक 22/8/16 को ग्राम देवरवरगांव...... के सरपंच श्री/श्रीमती शंगाराम नेताम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ........ सदस्य ........ प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम देवरवरगांव में आवेदक कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.ग.रा.वि.पारे.कं. मर्या. कांकेर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ...–.... है. वन भूमि 1.261 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.261 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तन किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के.व्ही. कोण्डागांव /नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये पस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

*अथवा*

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :–

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.मे.) |
|---|---|---|---|
| | देवरवरगांव | —— NIL —— | |

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ........... हे. वन भूमि ........... हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग ............. हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ.ग.रा.वि.पारे.कं. मर्या. कांकेर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित किया जावे।

सोमनाथ नेताम
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम – देवरवरगांव
ग्रा. पं. श्रीरागांव

[signature]
सचिव
ग्राम पंचायत श्रीरागांव
वि.खं./जिला – कोण्डागांव (छ.ग.)

हस्ताक्षर शंगाराम नेताम
नाम
सरपंच
सील

(163) (44)

| नाम | अंगूठे का निशान / हस्ताक्षर |
| --- | --- |
| ① पंचूराम ध्रुव | [signature] |
| ② कंवल सिंह | कंवलसिंह |
| ③ गुरुदास | गुरुदास |
| ④ मानसिंह | मानसिंह |
| ⑤ जगदेव | जगदेव |
| ⑥ लोहंगूराम | लोहंगूराम |
| ⑦ किशोर | किशोर |
| ⑧ अजय वर्मा | [signature] |
| ⑨ प्रेम नेताम | प्रेम |
| ⑩ दुर्जन | [signature] |

ग्राम सभा उमरगांव 'अ' की बैठक दिनांक 06/10/16 का कार्यवाही विवरण

उमरगांव 'अ'
उमरगांव 'अ'

आज दिनांक 06/10/16 को ग्राम उमरगांव 'अ' के सरपंच श्री/श्रीमती रामविलास मरकाम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के [illegible] 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम उमरगांव 'अ' में [illegible] कार्यपालन यंत्री, [illegible] केव्ही. लाईन निर्माण [illegible] छ0रा0वि0पा0ट्रां0कं0मर्या0, कांकेर के (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.226 [illegible] वन भूमि 0.323 [illegible] राजस्व वन भूमि, कुल 1.549 [illegible] वन भूमि की मांग की गई है। उक्त प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. उक्त वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 केव्ही कोण्डागांव -नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य [illegible] [illegible] नहीं कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं [illegible]

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी [illegible] को वन अधिकार मान्यता पत्र [illegible] किया गया है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.में) |
|---|---|---|---|
| | उमरगांव 'अ' | NIL | ——— |

अतः यह प्रस्ताव की ग्राम सभा में [illegible] किया जाता कि [illegible] वन भूमि, [illegible] वन भूमि कुल [illegible] ............है वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु [illegible] कार्यपालन यंत्री 400 केव्ही. लाईन निर्माण संभाग छ0रा0वि0पा0ट्रां0कं0मर्या0 कांकेर को [illegible] प्रस्तावित शर्तों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

(हस्ताक्षर)
सचिव
ग्राम पंचायत उमरगांव "अ"
वि.खं. /जि.कोण्डागांव (छ.ग.)

हस्ताक्षर
सरपंच
ग्राम पंचायत उमरगांव 'अ'
वि.खं./जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)
नाम रामविलास मरकाम

सरपंच ..........
सील

(हस्ताक्षर)
वन समिति अध्यक्ष
ग्राम - उमरगांव

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर / अंगूठा निशान |
| --- | --- | --- |
| 1. | चैनुराम मण्डावी | Chairman |
| 2. | श्यामसुंदर विश्वकर्मा | [signature] |
| 3. | पवन कुमार नेताम | [signature] |
| 4. | नन्दलाल विश्वकर्मा | नन्दलाल |
| 5. | चैनुराम सोड़ी सापलु राम | सौनतुराम सोड़ी |
| (6) | नेम्मा प्रियंका एक्का | नेम्मा प्रियंका एक्का |
| (7) | सुखमन देवांगन | सुखमन देवांगन |

[signature] सरपंच

ग्राम पंचायत ...

वि.ख. / जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

(176) 6 (31)

ग्राम सभा बुनागांव की बैठक दिनांक 17/11/2016 का कार्यवाही विवरण

बुनागांव

बुनागांव आज दिनांक 17/11/2016 को ग्राम बुनागांव के सरपंच श्री / श्रीमती दिनेश कोररिम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। कुल बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के .......... सदस्य .......... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई

1. ग्राम बुनागाँव ... में आवेदक कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, कांकेर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 0.738 हे वन भूमि 3.950 हे राजस्व वन भूमि कुल 4.688 हे वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के.व्ही. कोण्डागांव –नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संचालित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :—

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.में) |
|---|---|---|---|
| — | बुनागांव | —— NIL —— | —— |

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि .......... हे वन भूमि / .......... हे राजस्व वन भूमि कुल योग .......... हे वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, कांकेर को वन प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर [signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत बुनागांव
जनपद पंचायत ......
सील

[signature]
दिनेश
वन समिति अध्यक्ष
ग्राम - बुनागांव

[signature]
सचिव
ग्रा.पं. बुनागांव
वि.खं./जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर / अंगूठा निशान |
| --- | --- | --- |
| 1. | रामप्रसाद नाग | रामप्रसाद |
| 2. | चैनसिंह नेताम | चैनसिंह |
| 3. | धनीराम नेताम | धनीराम |
| 4. | सुकनाथ नाग | सुकनाथ |
| 5. | नितेश नेताम | (N) |
| 6. | बालसाय कोरम | बालसाय |
| 7 | मंगल राम कोरम | मंगलराम |
| 8 | | |

8 (183) (24)
प्रदर्श "ब"

ग्राम सभा बनजुंगानी की बैठक दिनांक 05/10/16 का कार्यवाही विवरण

स्थान आलवाड़ बनजुंगानी

आज, दिनांक 05/10/16 को ग्राम आलवाड़ के सरपंच श्री/श्रीमती रेवेसिंह सोरी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ........ सदस्य 75% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई -

1. ग्राम आलवाड़ में आवेदक कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ0रा0वि0पा0ट्रां0कं0मर्या0, कांकेर से (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 2.153 हे. वन भूमि 4.15 हे राजस्व वन भूमि, कुल 6.303 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के उक्त उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के.व्ही. कोण्डागांव --नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी [illegible] को वन अधिकार मान्यता पत्र [illegible] दिया गया है —

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.में) |
|---|---|---|---|
| | आलवाड़ | — NIL — | |

अतः सर्व सम्मति से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ........ हे. वन भूमि/ ........ हे राजस्व वन भूमि कुल योग ........ हे वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु [illegible] कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ0रा0वि0पा0ट्रां0कं0मर्या0, कांकेर को [illegible] नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

जमदार
वन समिति अध्यक्ष
ग्राम- बनजुंगानी

सचिव
ग्राम पंचायत बनजुंगानी
जनपद पंचायत कोण्डागांव

सरपंच
ग्रा.पं. बनजुंगानी
वि.खं./जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

हस्ताक्षर ........

नाम ........

सरपंच ........

(184) - (23)

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर/अंगूठा निशान |
| --- | --- | --- |
| 1. | कुरन्धराम | |
| 2. | हरिलाल सोढ़ी | |
| 3. | अनिमा सोढ़ी | अनिमा |
| 4. | रामनाथ | |
| 5. | धन्नू राम | |

ग्राम सभा चौड़ा ...... की बैठक दिनांक 03/10/2016 ... का कार्यवाही विवरण

चौड़ा ... फ० क्रमांक 03 -

चौड़ा

आज दिनांक 03/10/2016 को ग्राम चौड़ा ..... के सरपंच श्री/श्रीमती आसमती कोर्राम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ......... [illegible] ......... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई -

1. ग्राम चौड़ा एवं किलवड़ बाल्हीगा ... में अधीक्षण कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ०रा०वि०पा०ट्रा०क० मर्या० कांकेर में (गैर वानिकी कार्यों) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ...... है वन भूमि 6.183 है संरक्षित वन भूमि कुल 6.183 है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. उक्त वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि [illegible] के.व्ही. [illegible] पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य [illegible] गतिविधि [illegible] सम्पादित कर रहा है एवं कोई भी वन अधिकार [illegible] किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

[illegible]

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार [illegible] पत्र दिया गया है -

| [illegible] | ग्राम का नाम | वन अधिकार [illegible] का नाम | [illegible] |
|---|---|---|---|
| | चौड़ा | —— NIL —— | |

[illegible] ग्राम सभा में [illegible] वन भूमि / [illegible] वन भूमि कुल योग ......... है वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु [illegible] कार्यपालन यंत्री 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ०रा०वि०पा०ट्रा०क० मर्या० कांकेर [illegible] एवं प्रस्ताव अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

डेकाराम नेताम
अध्यक्ष वनसमिति
ग्राम-चौड़ा
सचिव
ग्रा.पं. चौड़ा
वि.खं. /जिला - कोण्डागांव

हस्ताक्षर ..................

नाम
आसमती
आसमती कोर्राम
सरपंच
ग्रा.पं.-चौड़ा वि.ख. कोण्डागांव

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर / अंगूठा निशान |
| --- | --- | --- |
| 1. | राम चोटई | रामचोटई |
| 2. | अमरन कोरीम | [illegible] |
| 3. | सीताराम कोरीम | [illegible] |
| 4. | नोहरू चोटई | नोहरू |
| 5. | मानसाय मरकाम | [illegible] |

ग्राम सभा 2/10/2016 की बैठक दिनांक 2/10/2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम चिमड़ी

स्थान चिमड़ी

आज, दिनांक 2/10/2016 को ग्राम चिमड़ी के सरपंच श्री/श्रीमती जुगमती कोर्राम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ............ सदस्य 80% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम चिमड़ी ............ में आवेदक कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, कांकेर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.503 हे. वन भूमि 3.677 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 5.180 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इसे वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के.व्ही. कोण्डागांव –नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संचालित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी /गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.में.) |
|---|---|---|---|
| | चिमड़ी | —— NIL | —— |

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ............ हे. वन भूमि/............ हे. राजस्व वन भूमि कुल योग ............ हे वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, कांकेर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावें।

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
चिमड़ी, वि.खं. कोण्डागांव

(हस्ताक्षर)
सचिव
ग्रा.पं. चिमड़ी
ज.पं. कोण्डागांव

हस्ताक्षर ............
नाम ............
जुगमती
सरपंच ............
ग्रा.पं. चिमड़ी सील
वि.खं./जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

(7)
(200)

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर/अंगूठा निशान |
|---|---|---|
| 1. | रामेश्वर | रामेश्वर |
| 2. | बजारू | बजारू |
| 3. | भोमाराम | भोमाराम |
| 4. | पन्नाकुमार | पन्नाकुमार |
| 5. | कोलाराम | कोलाराम |
| 6 | लोकनाथ | लोकनाथ |
| (7) | गुलाबचंद | गुलाबचंद |
| (8) | सेवू | अ.नि. सेवू |

(210)

ग्राम सभा भीरागाँव, भीरागाँव, कोलीयारी की बैठक दिनांक 3/10/2016 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 3/10/16 को ग्राम भीरागाँव एवं कोलीयारी के सरपंच श्री/श्रीमती रूपजी. वड्डे की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के — [illegible] — प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम भीरागाँव एवं कोलीयारी में आवेदक कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग [illegible] कांकेर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 0.507 हे. वन भूमि 2.253 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 2.760 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के.व्ही. [illegible] –नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी [illegible] गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य [illegible] नहीं [illegible] एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी [illegible] [illegible] वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं [illegible]

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र [illegible] [illegible] :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.में) |
|---|---|---|---|
| 1 | भीरागाँव | सरपंच ग्राम पंचायत बेडूर | |

[illegible] सर्वसम्मति से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि [illegible] हे. वन भूमि / [illegible] हे. राजस्व वन भूमि कुल योग ............ हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु [illegible] कार्यपालन यंत्री, 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग [illegible] कांकेर को [illegible] नियमों एवं प्रावधान [illegible] व्यपवर्तित की जावे।

हिरालाल
वन समिति अध्यक्ष
ग्राम - भीरागाँव

[signature] 3/10/16
सचिव
ग्रा.पं. बेनूर
ज.पं. नारायणपुर

[signature]
सरपंच
ग्रा.पं. बेनूर
ज.पं. नारायणपुर

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर/अंगूठा निशान |
| --- | --- | --- |
| 1. | सियालाल यादव (पंच) | S.L. Yadav |
| 2. | शम्भूलाल कौशल (पंच) | शम्भूलाल कौशल |
| 3. | हरिश्चन्द्र देवांगन | हरिश्चन्द्र देवांगन |
| 4. | जगतूराम दिवान | जगतूराम दीवान |
| 5. | रूपजी बड्डे | अ.नि. |

बा.अं.नि. रूपजी बड्डे
प्रधान
ग्राम सभा
श्रीरागति

सचिव
ग्रा.पं. बेनूर
ज.पं. नारायणपुर
3/10/2016

ग्राम सभा पानीगांव की बैठक दिनांक 3/10/2016 का कार्यवाही विवरण

ग्राम [illegible]

स्थान सिरपुर, पानीगांव

आज, दिनांक 3/10/016 को ग्राम पानीगांव के सरपंच श्री/श्रीमती इमलती परते की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के .............. सदस्य .............. प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम पानीगांव ... के आवेदक कार्यपालन यंत्री, [illegible] के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, कांकेर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 1.811 हे. वन भूमि 0.071 हे. राजस्व वन भूमि, कुल 1.882 हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के.व्ही. कोण्डागांव – नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी [illegible] को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.में.) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | पानीगांव सिरपुर | | |

अतः सर्व सम्मति से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि .............. हे. वन भूमि/ .......... हे. राजस्व वन भूमि कुल योग .............. हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आवेदक कार्यपालन यंत्री 400 के.व्ही. लाईन निर्माण संभाग छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 कांकेर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावें।

सचिव
ग्रा.पं.-मातला
ज.पं.-नारायणपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत मातला
जनपद पंचायत-नारायणपुर
जिला-नारायणपुर(छ.ग.)

[illegible]

मोहननाथ
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति पानीगांव
जि0 सं0 नारायणपुर

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर / अंगूठा निशान |
|---|---|---|
| 1. | सरवाराम — | सरवाराम पोटाई |
| 2. | पिलसाय — | पिलसाय मंडावी |
| 3. | गाड़ेराम | |
| 4. | रतुराम | रतु राम |
| 5. | पाणराम | |
| 6 | श्यमलाल | श्यामलाल |
| 7 | मेहतर | मेहतर कश्यप |
| 8 | सिधरय | [illegible] |
| 9 | फुलसिह | |
| 10 | सोमनाथ | सोमनाथ |

प्रपत्र 'ब'

(229)

सोनापाल

[illegible] ग्राम सभा चांदागांव ... की बैठक दिनांक 03/10/2016 ... का कार्यवाही विवरण

चांदागांव सोनापाल

सोनपाल

आज दिनांक 03/10/2016 को ग्राम चांदागांव ... के सरपंच श्री / श्रीमती सुमित्रा नाग की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ...... सदस्य 80% ... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई

ग्राम चांदागांव ... में आवेदक कार्यपालन यंत्री, [illegible] सड़क निर्माण संभाग [illegible] के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ...0.189 ... [illegible] भूमि ... —— ... है राजस्व वन भूमि कुल 0.189 ... [illegible] की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

[illegible] के उक्त उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम [illegible] की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

[illegible] वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियमों एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। [illegible] वन भूमि 102 के श्री कोण्डागांव – नारायणपुर [illegible] सड़क निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्तावित वन भूमि पर कृषि कार्य [illegible] या अन्य [illegible] गतिविधि नहीं [illegible] है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी [illegible] को वन अधिकार [illegible] दिया गया है –

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र [illegible] का नाम | रकबा (हे.) |
|---|---|---|---|
| | सोनापाल | | |

[illegible] ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ... के वन भूमि [illegible] वन भूमि कुल ...... है वन भूमि को गैर [illegible] कार्यपालन यंत्री, [illegible] सड़क निर्माण संभाग [illegible] को [illegible] व्यपवर्तित की जावे।

सहयक्ष वन समिति
तिजुराम

Nawade

[illegible]–नारायणपुर
[illegible]–नारायणपुर [illegible]

हस्ताक्षर ...

नाम ... सुमित्रा
सरपंच
ग्राम पंचायत–चांदागांव
जनपद पंचायत नारायणपुर

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर / अंगूठा निशान |
|---|---|---|
| 1. | बैजनाथ / धसिया - चांदगांव | बैजनाथ |
| 2. | रामजी / लक्ष्मण - चांदगांव | रामजी |
| 3. | सन्तूराम / सोनू - औंगनापाल | [illegible] |
| 4. | बृजकिशोर / सन्तीराम - सोनापाल | [illegible] |
| 5. | चन्द्रसिंह / धरमू - सोनापाल | चन्द्रसिंह |

प्रदर्श 'ब'

(231)

ग्राम सभा सिवनी की बैठक दिनांक 4/10/2016 का कार्यवाही विवरण

सिवनी
सिवनी

आज दिनांक 4/10/2016 को ग्राम सिवनी की सरपंच श्री / श्रीमती बैसराम की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी । उक्त बैठक में [illegible] एवं वन समिति के [illegible] 70% प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम सिवनी [illegible] के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, [illegible] लाईन निर्माण, [illegible] छ०रा०वि०पारे०कं०लि०, कांकेर के (गैर वानिकी कार्य) के लिये वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 2.611 [illegible] वन भूमि 2.807 हे राजस्व वन भूमि कुल 5.418 [illegible] वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 132 के०वी० कोण्डागांव –नारायणपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी [illegible] गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य प्रयोजन [illegible] नहीं [illegible] कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी [illegible] [illegible] गया [illegible] को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार [illegible] [illegible] दिया गया है :-

| क्र० | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (है०) |
|---|---|---|---|
| 1 | सिवनी | | |

अतः यह प्रस्ताव है ग्राम सभा में सर्वसम्मति [illegible] किया [illegible] है वन भूमि / [illegible] वन भूमि कुल रकबा ................ है, वन भूमि [illegible] [illegible] कार्यपालन यंत्री 400 के०वी० लाईन निर्माण संभाग छ०रा०वि०पारे०कं०लि० [illegible] [illegible] शर्तों एवं प्रावधान [illegible] व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत बागबेड़ा
जनपद पंचायत नारायणपुर

Umesh
वन समिति अध्यक्ष

हस्ताक्षर ................
नाम ................
सरपंच Baijuram
सरपंच
ग्राम पं.बांगबेड़ा
जनपद पं.–नारायणपुर

उपस्थित सदस्यगण

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर / अंगूठा निशान |
| --- | --- | --- |
| 1. | बते राम | बतेराम |
| 2. | सिंगराय | सिंगराय |
| 3. | मानकू राम | मानकूराम |
| 4. | सवना राम | सवना |
| 5. | रामसिंह | रामसिंग |